अनुसूची-14 फर्म स0-563

3

आदेश की क्र0स0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या–897 / 2019–20

फेसटस जोन पन्ना वगैरह .... आवेदकगण

बनाम

प्रमोद कुजूर .... विपक्षी

आदेश

आवेदकगण (1) श्री फेसटस जोन पन्ना, पिता – स्व0 प्रभुदान पन्ना, स्थायी पता ग्राम – चेटर, पोस्ट – गुमला, थाना वो जिला – गुमला, हाल मोकाम – 552 बेस्ट ले आउट सोनारी, एच0 रोड सोनारी, पोस्ट – सोनारी, जिला – जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम झारखंड (2) जोलजेस ओमेगस पन्ना, पिता – स्व0 प्रभुदान पन्ना, स्थायी पता ग्राम – चेटर, पोस्ट – गुमला, थाना वो जिला – गुमला, हाल मोकाम 2025 सेक्टर चार डी0, बोकारो स्टील सिटी बोकारो, थाना वो जिला – बोकारो ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना का नाम /थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट सख्या	रकबा (एकड़ में)
[illegible]	गुमला / 47	13	289	1.20 एकड़ में से 0.04 एकड़

(कुल चार डिसमिल)

आवेदित भूमि को आवेदकगण प्रस्तावित केता प्रमोद कुजूर, पिता – स्व0 प्रभु चरण कुजूर, स्थायी पता ग्राम – फोरी जुंगाटोली, पोस्ट – फोरी, थाना – गुमला, जिला – गुमला हाल मोकाम ग्राम – विश्रामपुर, पोस्ट वो थाना – महुआडाड, जिला – लातेहार झारखंड को राशि रूपये 3,60,000 (तीन लाख साठ हजार) रूपये पर बिक्री करने का तय किया है। आवेदकगण को मकान बनाने एवं अन्य दिगर काम हेतु रूपये की आवश्यकता है, रूपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहें हैं।

अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एंव आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, गुमला के कार्यालय के पत्रांक – 28 दिनांक 04.07.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदकगण को जमीन बिकी करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिकी के बाद भी आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह भूमि उनकी खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत उरॉव जाति के हैं, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, गुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नाकिंत विवरण की भूमि को आवेदकगण (1) श्री फेसटस जोन पन्ना, पिता – स्व0 प्रभुदान पन्ना, स्थायी पता ग्राम – चेटर, पोस्ट – गुमला, थाना वो जिला – गुमला, हाल मोकाम – 552 बेस्ट ले आउट सोनारी, एच0 रोड सोनारी, पोस्ट – सोनारी, जिला – जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम झारखंड (2) जोलजेस ओमेगस पन्ना, पिता – स्व0 प्रभुदान पन्ना, स्थायी पता ग्राम – चेटर, पोस्ट – गुमला, थाना वो जिला – गुमला, हाल मोकाम 2025 सेक्टर चार डी0, बोकारो स्टील सिटी बोकारो, थाना वो जिला – बोकारो को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिकी करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा .... अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना का नाम /थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड में)
चेटर	गुमला/47	13	289	1.20 एकड में से 0.04 एकड

(कुल चार डिसमिल)

	चौहदी – उत्तर – रास्ता दक्षिण – प्लॉट नं0 288 पूरब – नीज विक्रेता पश्चिम – नीज विक्रेता लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला।	5